

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स. 27(3)(9)पदो. / अभि / 2025 / 34-2-72
आदेश

जयपुर, दिनांक:- 24/3/26

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्न तालिका में वर्णित वरिष्ठ सहायकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Pay Matrix L-10) के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम मय पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया।	वि.वि.
1.	भावेश / राजेन्द्र चौबीसा	UR	19-07-78	01-04-2025	—
2.	वेलाराम / बाबूलाल	ST	01-01-94	01-04-2025	—
3.	समुसिंह बारिया / संजय बारिया	ST	26-08-96	01-04-2025	—
4.	इन्द्रजीत सिंह चौहान / नटवर सिंह चौहान	UR	25-12-96	01-04-2025	—
5.	चिराग भाटिया / अशोक कुमार भाटिया	UR	06-10-87	01-04-2025	—

उपरोक्त चयनित अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का पात्र है परन्तु पदोन्नति के वास्तविक (नकद) लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


(तिरूपति कुमार गुप्ता)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन ।
4. उप निदेशक अभियोजन, ।
5. संस्थापन वरिष्ठ शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. सम्बंधित अधिकारी.....द्वारा:-कार्यालयध्यक्ष।
7. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर 24/3/26